

प्रेस नोट दिनांक 07.09.2022 थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों व रोकथाम तस्करी हेतु चलाये जा रहे अभियान” के क्रम में, सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में सूर्यप्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व में एसएसबी व पुलिस चलाये जा रहे संयुक्त अभियान में आज दिनांक 07.09.2022 को एक व्यक्ति जो 20 बोरी यूरिया खाद व 01 अदद टैम्पो UP 55 AT 2365 बृहद ग्राम ठाकुरापुर विद्यालय के पास से नेपाल तस्करी कर ले जा रहा था व्यक्ति खाद व टैम्पो को छोड़कर नेपाल राष्ट्र की ओर चला गया व बरामद माल को धारा 11 कस्टम अधिनियम के अंतर्गत 20 बोरी यूरिया खाद व 01 अदद टैम्पो बरामद करके कस्टम कार्यालय ककरहवा रवाना किया गया।

